न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

बइजलास– रवीन्द्र कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2022 जीसीएमएस नम्बर 2022/15

अपीलान्ट

नेमाराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन ।

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. राजेश गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः 31.01.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के राजस्व प्रकरण संख्या 76/2020 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन बनाम श्री कुम्भाराम में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2020 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुरा की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 07.08.2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 23.12.2020 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम नारायणपुरा के आराजी राज खसरा नं. 259 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि व खसरा नं. 260 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.01 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.12 का पचास गुणा से राशि रूपये 6रूपये अक्षरे रूपये छः जूर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 06.01.2022 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2022/30 दिनांक 13.1.2022 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2020 अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया हैं। जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

31/01/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा अपीलान्ट के पिता श्री कुम्भाराम को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवायी गई। श्री कुम्भाराम के भतीजे बीरमा राम की तामील के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का पर्याप्त अवसर दिये बिना तथा अल्प समय में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अतिक्रमी घोषित किया जाना न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट के पिता श्री कुम्भाराम की मृत्यु दिनांक 18.03.2021 को हो जाने से मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किया जाना विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया है। रास्ता खुला व चलायमान है। माननीय न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट लिये एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6 वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.2020 को निर्णय पारित कर ग्राम नारायणपुरा के आराजी राज खसरा नं. 259 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 हैक्टर भूमि व खसरा नं. 260 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में से 0.01 हैक्टर भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर लगान 0.12 का पचास गुणा से राशि रूपये 6 रूपये अक्षरे रूपये छः जूर्माना आरोपित किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता श्री कुम्भाराम को जारी नोटिस की विधिवत तामील नहीं करवायी गई। तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

7 इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा बिना मौका रिपोर्ट लिए व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार कुचामन सिटी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2020 अपास्त किया जाकर हस्तगत प्रकरण तहसीलदार कुचामन सिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अतिक्रमित भूमि की पर्याप्त जांच कर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ लौटाया जावें।

31/01/2024
(रवीन्द्र कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

31/01/2024
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ कुचामन सिटी ★